फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

श्री लखमसिंह पुत्र गुलाब सिंह रावत निवासी नाबरियॉ (सिरोल)
तहसील भीम जिला राजसमन्द

—अपीलांट

बनाम

. लोक सूचना अधिकारी ,उपखण्ड अधिकारी भीम

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 31/2018**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 06.09.2018 अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी भीम से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लो0सू0 अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ. 05/2018/1423—24 दिनांक 29.08.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड कार्यालय भीम द्वारा जरिये पत्रांक 987 दिनांक 28.06.2018 से प्रार्थी/अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड भिजवाई जा चुकी है । प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील के संदर्भ में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करते हुये अपीलार्थी को भी नोटिस की प्रति प्रेषित कर अपील के उत्तर पर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो आप व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे । इस क्रम में प्रार्थी/अपीलार्थी वक्त पेशी उपस्थित नही हुआ है । लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकंन किया गया । प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा जरिये पत्रांक 987 दिनांक 28.06.2018 से जरिये रजिस्टर्ड भिजवाई जा चुकी है । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एफ) के अनुसार वही सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है जो पहले से अभिलेखों में उपलब्ध हों । उपखण्ड अधिकारी भीम के कार्यालय के पास अभिलेख पर जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुरूप प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा	

फोटो प्रति प्रमाणित
रीडर
न्यायालय जिला कलेक्टर
राजसमन्द (राज.)

प्रेषित अपील वर्णित तथ्यों के मध्यनजर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अप्रीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

फोटो प्रति प्रमाणित
रीडर
कार्यालय जिला कलेक्टर
राजसमन्द (राज.)